

सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक

विषय:- मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) की अतिरिक्त शाखा खोले जाने हेतु NIELIT को लीज (30 वर्ष) के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में।

(Transfer of rent-free land on lease for thirty years to NIELIT to establish an additional centre of NIELIT at Muzaffarpur – Reg.)

वित्तीय वर्ष 2011-12 में सूचना प्रावैधिकी विभाग के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2011 प्रतिपादित किया गया था, जिसमें उद्योगों के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति भी समाहित है।

उक्त नीति में यह व्यवस्था प्रदान की गयी है कि बिहार सरकार जहाँ भी सम्भव होगा वहाँ तक बड़ी IT/ITES/EHM इकाईयों के लिये उपयुक्त सरकारी जमीन की पहचान कर आरक्षित करेगी।

2. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने अर्द्धसरकारी पत्रांक-L-14015/42/2014-HRD दिनांक 16.12.2014 के द्वारा अनुरोध किया कि मुजफ्फरपुर में NIELIT की अतिरिक्त शाखा खोले जाने हेतु कुल-01 (एक) एकड़ भूमि को उपलब्ध कराया जाय, ताकि उक्त स्थल पर NIELIT का निर्माण कराया जा सके।

3. NIELIT भारत के केन्द्र सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। यह संस्था राज्य में ई.-गवर्नेंस आधारित प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है एवं वर्तमान समय में विभिन्न कोर्सों यथा-'O' Level (Foundation), 'A' Level (Advance Diploma), 'B' Level (MCA equivalent), 'C' Level (M-Tech equivalent); सूचना प्रावैधिकी साक्षरता संबंधी पाठ्यक्रम यथा - CCAC, BCC; Information Security संबंधी पाठ्यक्रम; ITes-BPO, ESDM, Bio-Informatics, Hardware के क्षेत्र सहित अनेक उच्च स्तरीय कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

4. NIELIT को राज्य सरकार की ओर से किराया रहित (Rent Free Space) स्थल उपलब्ध कराये जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उक्त पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर हमारे राज्य के शिक्षित युवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकें। उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रम Job Oriented है। मुजफ्फरपुर में यदि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) का विस्तार किया जाता है, तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा।

5. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के सैद्धांतिक सहमति के आलोक में समाहर्ता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-3270 दिनांक 30.11.2017 के द्वारा NIELIT की स्थापना हेतु चयनित भूमि, जो मौजा-दाउदपुर, थाना सं०-479, MIT मुजफ्फरपुर परिसर, खेसरा सं०-06, रकवा-01 एकड़ भूमि है, के अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. वर्णित स्थिति में मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) की अतिरिक्त शाखा खोले जाने हेतु NIELIT को लीज (30 वर्ष) के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. उक्त संकल्प को दिनांक-21.05.2018 को मद् संख्या-09 के रूप में मंत्रिपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राहुल सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06/सू०प्रा०-15/2013..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : (अनुलग्नक सी० डी० सहित) उप सचिव, बिहार गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी पाँच सौ प्रतियाँ को सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06/सू०प्रा०-15/2013..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06/सू०प्रा०-15/2013..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06/सू०प्रा०-15/2013..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: निदेशक-प्रभारी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT), बिस्कोमान भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06/सू०प्रा०-15/2013..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: माननीय मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/सभी मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06/सू०प्रा०-15/2013..... 649 पटना, दिनांक 28/05/18

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

आपको निदेश दिया जाता है कि इसे सूचना प्रावैधिकी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

सरकार के सचिव